

प्रभावक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन :

सेवा में,

1. निदेशक,
आयुर्वेद विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।
- ✓ 3. निदेशक,
यूनानी विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

2. निदेशक,
होम्योपैथी विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

विकित्ता शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2010

विषय:- विकित्ता शिक्षा (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2042/71-3-2001-328/92, दिनांक 11 जुलाई, 2001 तथा शासनादेश संख्या-2788/71-3-2001-328/92, दिनांक 29 अगस्त, 2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक कालेजों में स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों से लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों को संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है। संशोधित शुल्क शैक्षणिक वर्ष 2010-11 तथा उसके पश्चात् वर्षों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित होने वाले छात्रों से लिया जायेगा।

2- आरक्षित श्रेणी के छात्रों के ट्यूशन फीस (शिक्षण शुल्क) सामान्य वर्ग के छात्रों से ली जाने वाली ट्यूशन फीस (शिक्षण शुल्क) की आधी (50 प्रतिशत) होगी।

3- संलग्न सूची में इंगित "अन्य शुल्क" से तात्पर्य लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कालेज डे, गैंगजीन, छात्र कल्याण, कम्प्यूटर, गेम्स व स्पोर्ट्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकालोजी तथा क्लीनिकल सोसायटी, एजुकेशनल टूअर्स इत्यादि हेतु लिये जाने वाले शुल्क तथा "प्रवेश शुल्क" से तात्पर्य पंजीकरण, एनरोलमेंट, मेडिकल इक्जामिनेशन, पैथोलॉजी टेस्ट, एक्स रे, ब्लड ग्रुप, परिचय-पत्र, प्रशासनिक व्यय आदि मूद्रों में लिये जाने वाले शुल्क से है।

4- थीसिस प्रोफार्मा, थीसिस तथा परीक्षा सम्बन्धी शुल्क उपरोक्त के अतिरिक्त देय होंगे, जो राजकीय आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेज स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

5- शिक्षण/प्रशिक्षण शुल्क एवं काशनमनी दो छमाही किरातों में दी जा सकती है।

6- उक्त आदेश विल विभाग के अशासकीय संख्या-ई०-3-1170/दस-2010, दिनांक 17 अगस्त, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भावदीय,

20.8.10

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव

1

1

संख्या-

(1)/71-3-10-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय आयुर्वेदिक/होम्योपैथी/यूनानी कालेज, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त नियंत्रक, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, समस्त राजकीय आयुर्वेदिक/होम्योपैथी/यूनानी कालेज, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय) नियंत्रण; अनुभाग-3
8. नियोजन अनुभाग-4
9. सम्बंधित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवदीप रिनवा)
विशेष सचिव

कार्यालय
निदेशक, यूनानी सेवायें उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

संख्या : 1513 / यू०नि०/शुल्क/2010-11

दिनांक : 26-8-2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 उ०प्र० शासन को उनके पत्र संख्या:-2240(1)/71-3-2010-328/92 दिनांक-20 अगस्त 2010 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रधानाचार्य/अधीक्षक, राजकीय तकमिल-उत्तिब-कालेज, लखनऊ।
- 3- प्रधानाचार्य/अधीक्षक, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद

प्र० ए० एस० कासमी)
निदेशक

(र) स्नातक पाठ्यक्रम

1. शिक्षण शुल्क	रु० 10000/- प्रतिवर्ष
2. अन्य शुल्क	रु० 2000/- प्रतिवर्ष
3. विकास शुल्क	रु० 2000/- प्रतिवर्ष
4. प्रवेश शुल्क	रु० 1000/- केवल प्रवेश के समय
5. काशन मनी (रिफण्डेबुल)	रु० 4000/- केवल प्रवेश के समय
6. छात्रावास शुल्क	
सिंगल सीटें	रु० 200/- प्रतिमाह
डबल सीटें	रु० 150/- प्रतिमाह
ट्रिपल सीटें/अधिक	रु० 100/- प्रतिमाह
7. विद्युत उपभोग	रु० 200/- प्रतिमाह

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

1. शिक्षण शुल्क	रु० 12000/- प्रतिवर्ष
2. अन्य शुल्क	रु० 2000/- प्रतिवर्ष
3. विकास शुल्क	रु० 4000/- प्रतिवर्ष
4. प्रवेश शुल्क	रु० 2000/- केवल प्रवेश के समय
5. काशन मनी (रिफण्डेबुल)	रु० 4000/- केवल प्रवेश के समय
6. छात्रावास शुल्क	निःशुल्क
7. विद्युत उपभोग	रु० 200/- प्रतिमाह

(12/4/10)
(नवदीप रिजर्व)
विशेष सचिव।
२५